प्रेस विज्ञप्ति
03.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 01.10.2025 को गुरुग्राम में श्रावंथी समूह के प्रमोटर दंडमुडी वेंकटेश्वर राव, मेसर्स श्रवणथी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसकी समूह कंपनी मेसर्स श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) से संबंधित 03 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।

मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और उसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई द्वारा सार्वजनिक धन की हेराफेरी और उसे अपनी संबंधित संस्थाओं और एचपीसीएल की संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करने के मामले में चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत ये तलाशी ली गईं, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा वर्ष 2009 से 2015 के दौरान घोषित धोखाधड़ी की लागत 346.08 करोड़ रुपये थी।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराध करने के लिए जांच शुरू की, जिससे उन्हें गलत तरीके से लाभ हुआ।

ईडी की जाँच से पता चला है कि श्रावंथी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) 2013-15 से 10 करोड़ रुपये से अधिक की देनदार है, जिसकी आज तक कोई वसूली नहीं हुई है। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, एसईपीएल के बैंकरों द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 18.43 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर (क्लास-ए शेयर) विदेशी निवेशकों को अत्यधिक रियायती मूल्य पर, यानी मात्र 0.25 रुपये प्रति शेयर पर हस्तांतरित किए गए, जबकि एसईपीएल ने दोनों वर्षों में 210 करोड़ रुपये से अधिक का सकारात्मक EBITDA दर्ज किया था।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान, संपत्ति पंजीकरण विलेख/उपहार विलेख, शेयर खरीद समझौता, बैंकरों और एआरसी के बीच ऋणों के असाइनमेंट समझौते, एचपीसीएल और उसकी समूह कंपनियों के साथ पत्राचार, खाता बही, एसईपीएल और उसकी समूह कंपनियों की खाता बही, एचपीसीएल के साथ खरीद आदेश/कार्य आदेश, शेयर मूल्यांकन रिपोर्ट आदि से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एकत्र किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।